रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)—78

REGISTERED No. D-(D)—78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 13, 1978 (वैशाख 23, 1900)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 13, 1978 (VAISAKHA 23, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	503
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	615
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	439
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1001
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1259
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	107
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2627
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	363
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1021
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	81

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	503
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	615
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	439
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories ..	1001
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1259
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	107
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	2627
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	363
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1021
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	81

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसंगत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 1978

सं० 28-प्रेज/78—राष्ट्रपति सहर्ष निदेश देते हैं कि 8 मई, 1975 की अधिसूचना संख्या 35-प्रेज/75, के अधीन 17 मई, 1975 के भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित "सामान्य सेवा मेडल 1965" पुरस्कार संबंधी नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाये —

धारा तृतीय में —

"गेहरे हरे" **की जगह** "हरा (इंडिया ग्रीन) " **पढ़ा जाए** ।

के० सी० मादप्पा, राष्ट्रपति के सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1978

संकल्प

सं 11-3/78-एल डी०-I—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 19-34/47-डी डी/एल० डी०-1, दिनांक 14 मई, 1969 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबंध समिति को तत्काल से पुनर्गठित करने का फैसला किया है। प्रबंध समिति के सदस्य तथा इसके कार्य निम्नलिखित होंगे :—

गठन

1. डा० वी० कुरियन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड व भारतीय डेरी निगम ।	अध्यक्ष
2. कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में पशुपालन तथा डेरी उद्योग से सम्बद्ध अपर सचिव	सदस्य
3. कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के वित्तीय सलाहकार	सदस्य
4. निदेशक, दिल्ली क्षेत्र, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड	सदस्य
5. महा प्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना	सदस्य
6. कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में पशुपालन तथा डेरी उद्योग से सम्बद्ध संयुक्त सचिव	सदस्य-सचिव

कार्य

1. सामान्य रूप से दिल्ली में डेरी उद्योग तथा दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के विकास के लिए योजनायें तथा कार्यक्रम बनाना ।

2. दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेरी निगम के कार्यकलापों की निगरानी व समन्वय करना ।

3. दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्ध के लिए समग्र उत्तरदायित्व, और इस सन्दर्भ में, दिल्ली दुग्ध योजना के कुशल संचालन के लिए किए जाने वाले आवश्यक प्रशासनिक तथा वित्तीय उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

प्रबन्ध समिति उसी प्रकार कार्य करेगी और वैसी ही रिपोर्ट तथा सूचना प्रस्तुत करेगी जैसा कि सरकार समय-समय पर निदेश देगी । प्रबन्ध समिति के निर्णयों की सूचना शासी निकाय को दी जाएगी ।

1. प्रबन्धक समिति आवश्यकतानुसार बैठकें करेगी, लेकिन तीन महीनों में एक बैठक अवश्य होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, सचिव, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द, गुजरात, सचिव भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, महापौर, दिल्ली नगर निगम, अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका, अध्यक्ष, दिल्ली दुग्ध योजना को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

अन्ना आर० मल्होत्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 1978

सं० 1-13/77-एफ० आर० वाई० (एफ० डी०)—भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) में श्री राणा बहादुर सिंह और श्री के० कोडे रामि रेड्डि के स्थान पर, नीचे लिखे संसद सदस्यों को इस मंत्रालय के 19 जून, 1950 के संकल्प सं० 6-20/49-एफ० डी० द्वारा गठित, जिसे 21 मई, 1974 के संकल्प सं० सी० 11013/4/73-एफ० आर० वाई० (एफ० डी० द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किया गया था, केन्द्रीय खानिकी बोर्ड का सदस्य नियुक्त करने का फैसला किया है ।

1. डा० मुरली मनोहर जोशी	सदस्य, लोक सभा
2. श्री सी० बी० छेत्री	सदस्य, लोकसभा

वीरेन्द्र कोहली, अवर सचिव

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 1978

संकल्प

सं० एफ० 1-32/77-सी० एस० डब्ल्यू० बी०—समाज कल्याण विभाग में दिनांक 31 अगस्त 1976 के संकल्प संख्या 1-38/73-सी० एस० डब्ल्यू० बी० का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साधारण निकाय का तत्काल पुनर्गठित करती है ।

2. कम्पनी के साधारण निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्रीमती लीला एस० मूलगांवकर

2. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि

राज्य का नाम	प्रतिनिधि का नाम
2. आंध्र प्रदेश	बाद में नामांकित किया जाएगा ।
3. असम	बाद में नामांकित किया जाएगा ।
4. बिहार	श्रीमती प्रेमलता राय
5. गुजरात	श्रीमती इन्द्राबेन दीवान
6. हरियाणा	श्रीमती शान्ति देवी
7. हिमाचल प्रदेश	श्रीमती लीला टंडन
8. जम्मू एवं कश्मीर	बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
9. कर्नाटक	बाद में नामांकित किया जाएगा ।
10. केरल	श्रीमती रत्नकला एस० मेनन
11. मध्य प्रदेश	श्रीमती उर्मिला सिंह
12. महाराष्ट्र	बाद में नामांकित किया जाएगा ।
13. मेघालय	कुमारी सिलवरीन स्वेर
14. मनिपुर	सेकमाई की श्रीमती अकील अंगल
15. नागालैंड	श्रीमती आईचुवाला
16. उड़ीसा	श्रीमती कुन्तल कुमारी आचार्य
17. पंजाब	श्रीमती सुरेन्द्र कौर गरेवाल
18. राजस्थान	श्रीमती उजला अरोड़ा
19. सिक्किम	चांकुंग की काजिनी एरिस मारिया
20. तमिलनाडु	श्रीमती नूरजहां रज्जाक
21. त्रिपुरा	बाद में नामांकित किया जाएगा ।
22. उत्तर प्रदेश	श्रीमती (डा०) सत्यवती सिन्हा
23. पश्चिमी बंगाल	प्रो० कनक मुखर्जी
संघ शासित क्षेत्र	
24. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	श्रीमती गीता कृष्णाझी
25. चंडीगढ़	श्रीमती उषा सूरी
26. मिजोरम	श्रीमती लालरिनतलोंगी

3. समाज वैज्ञानिक (समाज कार्य शिक्षा विद्)

27. श्रीमती इला भट्ट, अहमदाबाद

28. श्रीमती देवकी जैन, दिल्ली

4. समाज कल्याण प्रशासक

29. डा० (श्रीमती) राजामल देवदास, कोयम्बटूर

30. श्रीमती रक्षा शरण, दिल्ली

5. प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता

31. श्रीमती ए० बहाबुद्दीन अहमद, हैदराबाद

32. श्रीमती इन्द्रामिरि, असम

33. श्रीमती कृष्णा राव, मद्रास

34. श्रीमती आरती दत्ता, कलकत्ता

35. श्रीमती असूया श्रीधर लिमये, पुने

6. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्रतिनिधि

36. वित्त	श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन, वित्त सलाहकार
37. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	श्रीमती सरला गरेवाल, अपर सचिव
38. ग्रामीण विकास विभाग	श्री बी० के० शर्मा, संयुक्त सचिव
39. शिक्षा	श्रीमती अंजनी दयानन्द, संयुक्त शिक्षा सलाहकार
40. समाज कल्याण	श्री बी० एस० बहादुर, उप सचिव
41. योजना आयोग	बाद में नामांकित किया जायेगा

7. संसद के प्रतिनिधि

लोक सभा

42. श्रीमती कमला बहुगुणा, संसद सदस्य

43. श्री के० सूर्यनारायण, संसद सदस्य

राज्य सभा

44. श्रीमती प्रतिमा सिंह, संसद सदस्य

3. पुनर्गठित बोर्ड का कार्यकाल 30 सितम्बर 1980 तक होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य ।
2. समस्त राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. प्रधान मंत्री का कार्यालय ।
6. योजना आयोग ।
7. लोकसभा/राज्य सभा सचिवालय
8. मन्त्रिमण्डल सचिवालय ।
9. प्रेस सूचना कार्यालय, नई दिल्ली ।
10. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
11. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधिबोर्ड, कानपुर
13. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ।
14. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
15. सभी राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

एन० पी० नवानी, उप सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1978

संकल्प

सं० डी० जी० ई० टी०-3(4)/78-टी० सी०—विभिन्न प्रतिष्ठानों के शिक्षुओं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की कोटि को सुधारने की आवश्यकता पर 26 नवम्बर, 1976 को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय शिक्षुता परिषद की 14वीं बैठक में विचार विमर्श किया गया था । परिषद ने यह महसूस किया कि इस मामले पर गहन अध्ययन करना अपेक्षित है और अध्यक्ष को विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया । बाद में राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद ने 15 फरवरी, 1977 को हुई अपनी 16वीं बैठक में इसको स्वीकार किया । इसलिए सरकार ने इस मामले की जांच करने तथा उपयुक्त उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय किया है ।

2. इस समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

श्री एस० ए० कादिर, भूतपूर्व महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विशेषज्ञ (सेवा निवृत्त)

सदस्य

1. श्री बी० जी० वार्ष्णेय, मुख्य प्रशिक्षण एवं जनशक्ति सलाहकार, भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली ।
2. श्री एम० एस० एस० वरदन, जनरल ओ० डी० मैनेजर, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर ।
3. एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्टरी, 172, जोर बाग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।
4. प्रो० जी० एस० काडू, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, महाराष्ट्र, बम्बई ।
5. श्री एस० एन० गोयल, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर ।
6. शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) का एक प्रतिनिधि ।
7. विकास आयुक्त, लघु-उद्योग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।
8. खादी और ग्राम उद्योग आयोग का एक प्रतिनिधि ।
9. कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्राम विकास विभाग) का एक प्रतिनिधि ।

सदस्य सचिव

10. श्री पी० एस० प्रेम
अपर निदेशक, प्रशिक्षण
श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

3. समिति के विचारार्थ विषयों में मुख्यतया निम्नलिखित बातें शामिल होंगी ।

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की कोटि को सुधारने के लिए उपाय और साधनों को सिफारिश करना ।

(ख) प्रतिष्ठानों में शिक्षुओं के प्रशिक्षण की कोटि की सुधारने के लिए उपयुक्त स्टाफिंग पैटर्न की सिफारिश करना ।

समिति के विचारार्थ विषयों के ब्यौरे निम्न प्रकार होंगे :—

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण को कोटि को सुधारना ।

वर्तमान व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करना तथा निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की कोटि को सुधारने के लिए उपाय और साधनों की सिफारिश करना :—

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना ।

(2) व्यवसाय-परीक्षण और प्रमाणन की वर्तमान पद्धति ।

(3) वित्तीय प्रबंध ।

(4) मशीनरी और उपकरणों के प्रतिस्थापन के बारे में मानदण्ड ।

(5) व्यवसायों की पुनरीक्षा, प्रशिक्षण की अवधि और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रवेश योग्यताएं ।

(6) केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण की सफलता की पुनरीक्षा ।

(7) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कुल कार्य घंटों और कौशल विकास में उसके वितरण का पुनरीक्षण संबंधित अनुदेश और अन्य विषय ।

(ख) शिक्षता प्रशिक्षण के स्तर में सुधार

(1) वर्तमान स्थिति की पुनरीक्षा करना और प्रतिष्ठानों के शिक्षुओं के प्रशिक्षण के स्तर में सुधार करने के लिए उपयुक्त स्टाफिंग पैटन को सिफारिश करना ।

(2) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के संगठन, विस्तार और कार्यकरण की जांच करना ।

(क) विनिर्दिष्ट उद्योगों, नामोद्दिष्ठ व्यवसायों, मौलिक प्रशिक्षण देने के वर्तमान प्रबन्धों, शाप फलोर प्रशिक्षण संबंधित अनुदेशों और इन से संबंधित अन्य कारकों का विशेष ध्यान रखते हुए और इस बात का निर्धारण करना कि आपात स्थिति के दौरान योजना के असाधारण विस्तार ने शिक्षुता प्रशिक्षण के स्तर को किस हद तक प्रभावित किया है; और

(ख) इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न व्यवसायों में कुशल शिल्पकारों के बारे में उद्योग की दीर्घकालीन और बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रशिक्षित शिक्षुओं की संख्या और नियमित रोजगार में उनकी खपत की संभावनाओं में साम्य बनाए रखा जाना चाहिए, और उपचारी उपायों की सिफारिश करना ।

(3) उपयुक्त यंत्रावली का सुझाव देना :—

(क) विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में कुशल शिल्पकारों की राष्ट्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले उद्योगों और व्यवसायों और इस प्रकार की मांग के निर्धारण के तरीकों के बारे में निश्चय करने के लिए और

(ख) उपर्युक्त (2) (क) को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उद्योगों और व्यवसायों का पुनरीक्षण करने के लिए :

(4) सुधार की कार्रवाई करवाने और ठोस आधुनिक आधार पर शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कुछ आंतरिक एजेंसी या एजेंसियों का सुझाव देना ।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने और ऐसे क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के कौशल को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दोनों का पुनर्विन्यास करने के लिए भी समिति अध्ययन करेगी और उपाय सुझाएगी । समिति महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेगी ।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

5. समिति से अनुरोध है कि वे अपनी रिपोर्ट चार मास की अवधि के भीतर पेश कर दे ।

6. समिति अपनी कार्य-विधि स्वयं निर्धारित करेगी । समिति अपने कृत्यों में सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है । समिति ऐसी सूचना मंगवा सकती है और ऐसी गवाही ले सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे । भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग समिति द्वारा यथाअपेक्षित सूचना, सामग्री तथा दस्तावेज और सहायता प्रदान करेंगे ।

7. भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान, नियोजक और श्रमिक संगठन और सभी अन्य संबंधित संघ और संस्थान समिति को अपना पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगी ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और अन्य संबंधितों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

गुलाम हुसैन,
रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक तथा संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 4th May 1978

No. 28-Pres./78.—The President is pleased to direct that the following amendment shall be made in the Statutes governing the award of सामान्य सेवा मंडल 1965' "SAMANYA SEVA MEDAL 1965" published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 17th May, 1975, *vide* Notification No. 35-Pres/75, dated the 8th May, 1975 :

In Clause Thirdly :

for "dark green" *substitute* "India green".

K. C. MADAPPA
Secretary to the President

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi-1, the 15th April 1978

RESOLUTION

No. 11-3/78-LD. I.—In supersession of this Ministry's Resolution No. 19-34/47-DD/LD. I dated the 14th May, 1969, the Government of India have decided to reconstitute the Management Committee for the Delhi Milk Scheme with immediate effect. The constitution and functions of the Management Committee will be as under :—

Composition

Chairman

1. Dr. V. Kurien, Chairman, N.D.D.B. and Indian Dairy Corporation.

Members

2. Additional Secretary, Ministry of Agriculture & Irrigation dealing with Animal Husbandry & Dairying.
3. Financial Adviser to the Ministry of Agriculture & Irrigation (Deptt. of Agriculture).
4. Director, Delhi Region, National Dairy Development Board.
5. General Manager, Delhi Milk Scheme.

Member-Secy.

6. Joint Secretary in the Ministry of Agriculture & Irrigation, dealing with Animal Husbandry & Dairy.

Functions

1. Formulation of plans and programmes for the development of the dairy industry in Delhi in general, and of the Delhi Milk Scheme inclusive of Mother Dairy.
2. Overseeing and coordinating the activities of the Delhi Milk Scheme and National Dairy Development Board and Indian Dairy Corporation in Delhi.
3. Overall responsibility for the management of the Delhi Milk Scheme, and in this context, recommending to Government all administrative and financial steps required to be taken for the efficient working of the Delhi Milk Scheme.

The Management Committee shall function in such manner and shall furnish such report and information as Government from time to time direct. Decisions of the Managmeent Committee shall be reported to the Governing Body.

2. The Management Committee shall meet as often as necessary but not less than once in a quarter.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, all Ministries/Departments of the Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Sectt., the Presidents' Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General Central Revenues, the Director of Commercial Audit, Secretary, National Dairy Development Board, Anand, Gujarat, Secretary, Indian Dairy Corporation, Baroda, the Indian Council of Agricultural Research, the Director General of Health Services, Mayor, Delhi Municipal Corporation, the President, New Delhi Municipal Committee, the Chairman, Delhi Milk Scheme.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANNA R. MALHOTRA
Addl. Secy.

New Delhi, the 13th April 1978

No. 1-13/77-FRY(FD).—Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriture) have decided to appoint the following Members of Parliament in place of Shri Rana Bahadur Singh and Shri K. Kodanda Rami Reddy to serve on the Central Board of Forestry constituted vide this Ministry's Resolution No. 6-20/49-FD dated the 19th June, 1950 as finally amended vide Resolution No. C.11013/4/73-FRY(FD) dated 21st May, 1974 :—

1. Dr. Murli Manohar Joshi—Member, Lok Sabha.
2. Shri C. B. Chhetri—Member, Lok Sabha.

V. KOHLI
Under Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd April 1978

No. F. 1-32/77—CSWB.—In supersession of the Department of Social Welfare Resolution No. 1-38/73-CSWB, dated 31 August 1976, the Government of India is pleased to reconstitute the General Body of the Central Social Welfare Board with immediate effect.

2. The following will be the members in the General Body of the Company :—

I. *Chairman*

1. Smt. Leela S. Moolgaokar

II. *Representatives of the State Governments/Union Territories* :

Name of the State	*Name of the representative*
2. Andhra Pradesh	To be nominated later
3. Assam	To be nominated later
4. Bihar	Smt. Premalata Rai
5. Gujarat	Smt. Indraben Diwan
6. Haryana	Smt. Shanti Devi
7. Himachal Pradesh	Smt. Lila Tonden
8. Jammu & Kashmir	Begum Sheikh Mohammad Abdullah
9. Karnataka	To be nominated later
10. Kerala	Smt. Ratnakala S. Menon
11. Madhya Pradesh	Smt. Urmila Singh
12. Maharashtra	To be nominated later
13. Meghalaya	Miss Silverine Swer
14. Manipur	Smt. Akil Angal of Sekmai
15. Nagaland	Smt. I. Chubala
16. Orissa	Smt. Kuntala Kumari Acharya
17. Punjab	Smt. Surendra Kaur Grewal
18. Rajashan	Smt. Ujla Arora
19. Sikkim	Kazini Saheba Elisa Maria of Chakhung
20. Tamil Nadu	Smt. Noorjehan Razaak
21. Tripura	To be nominated later
22. Uttar Pradesh	Smt. (Dr.) Satyawati Sinha.
23. West Bengal	Prof. Kanak Mukherjee

Union Territories

24. Anadaman & Nicobar Islands	Smt. Geeta Krishnatry
25. Chandigarh	Smt. Usha Suri
26. Mizoram	Smt. Lalrintluangi

III. *Social Scientists (Social Work Educators)* :

27. Smt. Ela Bhatt, Ahmedabad
28. Smt. Devaki Jain, Delhi.

IV. *Social Welfare Administrators* :

29. Dr. (Smt.) Rajammal Devas, Coimbatore
30. Smt. Rakasha Saran, Delhi

V. *Prominent Social Workers* :

31. Smt. A. Wahabuddin Ahmad, Hyderabad.
32. Smt. Indira Miri, Assam.
33. Smt. Krishna Rao, Madras.
34. Smt. Arati Dutt, Calcutta
35. Smt. Anasuya Shridhar Limaye, Pune.

VI. *Represntatives from Ministries/Departments of the Government of India*

36. Finance	Shri J. A. Kalyanakrishnan, Financial Adviser
37. Health & Family Welfare	Smt. Serla Grewal, Additional Secretary
28. Department of Rural Development	Shri B. K. Sharma, Joint Secretary.
39. Education	Smt. Anjani Dayanand, Joint Educational Adviser
40. Social Welfare	Shri B. N. Bahadur, Deputy Secretary.
41. Planning Commission	To be nominated later

VII. *Representatives from Parliament*

Lok Sabha

42. Smt. Kamala Bahuguna, M.P.
43. Shri K. Suryanarayana, M.P.

Rajya Sabha

44. Smt. Pratibha Singh, M.P.

3. The tenure of the Board will be upto 30th September 1980.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Prime Minister's Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats.
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, New Delhi.
10. The Accountant General Central Revenue, New Delhi.
11. Department of Company Affairs, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Registrar of Companies, New Delhi.
14. Secretary, C.S.W.B., New Delhi.
15. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazetted of India for general information.

N. P. NAWANI
Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi-110001, the 25th April, 1978

RESOLUTION

No. DGET-3(4)/78-TC.—The need for improving the quality of training imparted to the apprentices in various establishments and also to the trainees in Industrial Training Institutes was discussed in the 14th meeting of the Central Apprenticeship Council held at New Delhi on 26th November, 1976. The Council felt that the matter required study in greater depth and authorised the Chairman to constitute a Committee of experts for the purpose. This was subsequently agreed to by the National Council for Training in Vocational Trades at its 16th meeting held on 15th February, 1977. The Government have, therefore, decided to set up a Committee to go into the matter and to suggest suitable remedial measures.

2. The Committee will have the following composition :—

Chairman

Shri S. A. Qadir, Ex-Director-General of Employment & Training and ILO Expert (Retired).

Members

1. Shri B. G. Varshney, Chief Training & Manpower Adviser, Fertilizer Corporation of India, New Delhi.
2. Shri M. S. S. Varadan, General O.D. Manager, Hindustan Machine Tools Limited, Bangalore.
3. A representative of the Association of Indian Engineering Industry, 172, Jor Bagh, New Delhi.
4. Prof. G. S. Kadu, Director, Technical Education, Maharashtra, Bombay.
5. Shri S. N. Goel, Director of Technical Education, Rajasthan, Jodhpur.
6. A representative of the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education).
7. A representative of the Development Commissioner, Small-Scale Industries, New Delhi.
8. A representative of Khadi and Village Industries Commission.
9. A representative of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Rural Development).

Member-Secy.

10. Shri P. S. Prem, Additional Director of Training, Ministry of Labour, (D.G.E. & T.).

3. The terms of reference of the Committee will broadly include the following :—

(A) to recommend ways and means to improve the quality of training in the Industrial Institutes.

(B) to recommend suitable staffing pattern for improving the quality of training of apprentices in the establishments.

The details of terms of reference of the Committee would be as follows :—

(A) *Improvement of quality of training, in Industrial Training Institutes.*

To review the existing arrangement and to recommend ways and means of improving the quality of training in the Industrial Training Institutes with particular reference to the following :

(1) Organisational and administrative structure to conduct training programmes in the Industrial Training Institutes.

(2) Present system of trade-testing and certification.

(3) Financial arrangements.

(4) Norms for the replacement of machinery and equipments.

(5) Review of trades, period of training and admission qualifications of the Industrial Training Institutes trainees.

(6) Review of Instructors Training Programme and effectiveness of training in Central Training Institutes.

(7) Review of total working hours in the Industrial Training Institutes and distribution of the same in skill development, related instructions and other subjects.

(B) *Improvement of quality Apprenticeship Training*

(1) To review the existing position and to recommend suitable staffing pattern for improving the quality of training of apprentices in the establishments.

(2) To examine the organisation, growth and the working of the apprenticeship training scheme.

(a) with special reference to the industries specified, trades designated, existing arrangements for imparting Basic Training, Shop-Floor Training, Related Instruction and other factors relating thereto and assess the extent to which the phenomenal expansion of the Scheme during the period of Emergency affected the quality of the Apprenticeship Training; and

(b) in the light of the requirements that parity should be maintained between the number of apprentices trained and the possibilities of their absorption in regular employment vis-a-vis the sustained and growing needs of the industry for skilled craftsmen in different trades, and recommend remedial measures.

(3) To suggest a suitable mechanism :—

(a) for determining the industries and trades to be notified under the Apprenticeship Act, 1961, having regard to the national demand for skilled craftsmen in various industries and trades and the method of assising such demand; and

(b) for review of existing industries and trades in the light of (2)(a) above.

(4) To suggest some in-built agency or agencies for securing corrective action as well as furthering the growth of Apprenticeship Training Scheme on sound modern lines.

The Committee will also study and recommend measures for re-orienting both the Apprenticeship Training and Industrial Training Programmes to subserve the needs of the rural areas of the country and for upgrading of skills among persons coming from such areas. It will also keep in view the special needs for training of women, and physically handicapped persons.

4. The Headquarters of the Committee will be located at New Delhi.

5. The Committee is requested to submit its report within a period of four months.

6. The Committee will device its own procedure. It can co-opt persons to assist in its functions. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of the Government of India will furnish such information, material and documents and render such assistance as may be required by the Committee.

7. The Government of India trust that the State Governments/Union Territory Administrations, Public and Private Sector Undertakings, organisations of employers and workers and all other concerned organisations, associations and institutions will extend to the Committee their full-cooperation and assistance.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Union Territory Administrations and others concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GHULAM HUSSAIN
Director-General of Employment and Training and Joint Secretary.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978